डालसा सचिव ने किया बाल वाहिनियों का निरीक्षण

सीमा सन्देश संवाददाता

कमियों को दुरुस्त करवाने के लिए निर्देशित किया

झुंझुनूं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिले में संचालित बाल वाहिनियों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। प्राधिकरण सचिव एडीजे डॉ. महेंद्र सिंह सोलंकी ने बताया कि रालसा के निर्देशों की पालना में जिला मुख्यालय पर स्थित निजी विद्यालयों द्वारा संचालित बाल वाहिनियों का शनिवार को फिर से आकस्मिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान ज्यादातर बाल वाहिनियां निर्धारित मानकों के अनुसार संचालित नहीं होना पाया गया। न्यायाधीश ने बताया कि अभियान के दौरान बाल वाहिनियों में पाई गई कमियों के बाबत परिवहन विभाग द्वारा चालान भी बनाए गए तथा वाहन चालकों को पाई गई कमियों को दुरुस्त करने के लिए निर्देशित किया गया। प्राधिकरण सचिव डॉ. सोलंकी ने बताया कि बाल वाहिनियों में क्षमता से अधिक बच्चों को ले जाना न केवल कानूनी रूप से गलत है। बल्कि बच्चों की जान के लिए भी गंभीर खतरा है। डॉ. सोलंकी ने बताया कि बाल वाहिनी की आकस्मिक जांच में निर्धारित बिंदुओं वाहन का रंग, वाहन का स्कूल ड्यूटी लिखा होना, वाहन पर वाहन चालक एवं विद्यालय का विवरण, फर्स्ट एड बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, जीपीएस सिस्टम, आपातकालीन निकास, विशेष बच्चों के लिये सुविधा, वाहन चालक एवं सहायक के वैध लाइसेंस व पहचान दस्तावेज, वाहन चालक का भारी वाहन चलाने का अनुभव, पूर्व में गंभीर चालान अथवा दुर्घटना रिकॉर्ड पर ड्राइवर को अयोग्य माना जाना, निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बाल वाहिनी में बिठाना, बाल वाहिनियों की गति निर्धारित सीमा में हो, वाहन चालक व सहायक का समय-समय पर मेडिकल परीक्षण, बाल वाहिनी में चढ़ने उतरने का सुरक्षित स्थान, बाल वाहिनियों की समग्र फिटनेस आदि के संबंध में जांच की गई। प्राधिकरण सचिव ने बताया कि जांच के दौरान जानकारी भी दी गई कि निर्धारित मानक अनुसार बाल वाहिनियों का संचालन नहीं किया जाना एवं क्षमता से अधिक बच्चों को वाहन में बैठाना दुर्घटना की स्थिति में जनहानि का कारण बन सकता है।

प्राधिकरण सचिव ने वाहन चालकों, विद्यालयों प्रबंधकों एवं अभिभावकों से अपील की कि प्रत्येक बच्चा उनके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए उसकी जान जोखिम में न डाले। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देना हम सबका सामूहिक दायित्व होना चाहिए। यदि किसी को बाल वाहिनियों में ओवलोडिंग अथवा सुरक्षा नियमों में किसी प्रकार की कमी के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है तो इस संबंध में तुरन्त तत्काल संबंधित विभाग अथवा प्राधिकरण को देकर आवश्यक कार्यवाही करवाई जा सकती है।

चिड़ावा के निरंजन सैनी झुंझुनूं जिला संरक्षक नियुक्त, दी शुभकामनाएं

सीमा सन्देश संवाददाता

चिड़ावा। राष्ट्रीय सैनी सभा राजस्थान द्वारा संगठन विस्तार के तहत चिड़ावा के निवासी निरंजन लाल सैनी पुत्र सांवरमल सैनी को झुंझुनूं जिला संरक्षक नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति जिला अध्यक्ष एडवोकेट डॉ. महेश कुमार सैनी द्वारा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. श्रवण कुमार सैनी की अनुशंसा पर की गई। सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी और समाज सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए निरंजन सैनी को अप्रैल 2025 से मार्च 2029 तक के कार्यकाल हेतु यह महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा गया है। संगठन ने विश्वास जताया है कि वे आगे भी राष्ट्रहित एवं समाजहित में ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करते रहेंगे। उनकी नियुक्ति पर संगठन के पदाधिकारियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और परिजनों ने उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दीं।

आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय: इंडियन रेयॉन कंपाउंड, वेरावल, गुजरात-362266
शाखा कार्यालय: नं. 324/ए/5, द्वितीय तल, दिव्य दीप अपार्टमेंट, द्वितीय तल, नजदीक बजरंग चौराहा, अजमेर-305001.

1. एबीएचएफएल- प्राधिकृत अधिकारी - देवेन्द्र राठौड़: 919829222694, 2. नीलामी सेवा प्रदाता (एएसपी): - मैसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड (नीलामी टाइगर) श्री राम शर्मा - संपर्क नंबर 8000023297 और 9265562819

अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) एवं 9(1) के प्रावधानों के अधीन अचल आस्ति(यों) की बिक्री के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना

जन सामान्य तथा विशेष रूप से निम्नलिखित ऋणधारकों और जमानतदार(ों) को सूचित किया जाता है कि नीचे उल्लेखित अचल सम्पत्तियां जो आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/प्रभार में हैं, का कब्जा आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, की ऋणधारक नाम ललित कुमार कोटवानी एवं हरीश सोहन कुमार से आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार को देय बकाया राशि 9,45,652.48/- (रुपये नौ लाख पैंतालीस हजार छह सौ बावन व पैसे अड़तालीस मात्र) व उस पर आगामी ब्याज और अन्य खर्चों सहित भुगतान की तिथि तक देय के लिए 06-01-2026 को "जैसा है जहां है", "जैसा है क्या है", और "वहां जो भी है" आधार पर बिक्री के लिए रखा जाएगा।

आरक्षित मूल्य रुपये 9,88,581/- (रुपए नौ लाख अट्ठासी हजार पांच सौ इक्यासी मात्र) होगा और बयाना राशि जमा (ईएमडी) 98,858/- (रुपये अठानवे हजार आठ सौ अठावन मात्र) होगी। ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 05.01.2026 है। अचल सम्पत्ति के निरीक्षण की तिथि 03.01.2026 को प्रातः 11.00 से 04.00 सायं के बीच है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सिलावट मोहल्ला, खारी खुई, अजमेर, राजस्थान-305001 स्थित अजमेर नगर निगम की ए.एम.सी. नंबर वाली सभी व्यावसायिक संपत्ति 7/112 = 13/114 = 20/393 (बिना छत वाली भूतल की दुकान) के समस्त खंड एवं हिस्से। कुल क्षेत्र 113.63 स्क्वे. फीट और सीमाबद्ध इस प्रकार: पूर्व: गली और श्रीमती लक्ष्मीबाई जी की संपत्ति, पश्चिम: आम दीवार फिर उसी ए.एम.सी. नंबर की अन्य संपत्ति, उत्तर: आम दीवार फिर उसी ए.एम.सी. नंबर की अन्य दुकान, दक्षिण: श्रीमती लक्ष्मीबाई जी की संपत्ति।

बिक्री के नियम व शर्तों के विवरण के लिए, कृपया आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट में दिए लिंक देखें: https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-for-auction-under-sarfaesi-act या https://sarfaesi.auctiontiger.net को देखें।

दिनांक: 30.11.2025 हस्ता./- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: अजमेर आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

» न्यूज-ब्रीफ

विद्यालय में बच्चों को स्वेटर वितरण

सीमा सन्देश संवाददाता

नवलगढ़। कस्बे के बाल्मीकि बस्ती स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय रामदेवरा में शनिवार को महावीर इंटरनेशनल नवलगढ़ द्वारा गोपी कृष्ण महावीर प्रसाद धरणीधरका मुंबई प्रवासी नवलगढ़ निवासी के आर्थिक सहयोग से विद्यालय के जरूरतमंद 80 छात्रों को स्वेटर वितरित की गई। स्वेटर वितरण कार्यक्रम में उमेश कुमार जोशी का बड़ा सहयोग रहा। इन्होंने दानदाता को प्रेरित किया ' उमेश कुमार जोशी ने बताया कि भविष्य में भी कभी बच्चों को किसी भी प्रकार की जरूरत पड़े तो हम बच्चों की सहायता के लिए तैयार रहेंगे। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ जन सोहनलाल चांवरिया, स्काउट के पूर्व प्रधान मुरली मनोहर चौबदार, संस्था के पूर्व प्रधानाचार्य रामावतार सबलानिया, मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय कडवाल, शिक्षक ओमप्रकाश, ललिता, राजबाला ,सुनीता बेनीवाल आदि मौजूद रहे।संस्था की सुनीता बेनीवाल ने भामाशाह, आगन्तुकों का आभार जताया।

लिखवा शराब ठेके पर फायरिंग करने वाले दोनों मुख्य आरोपी सचिन व अक्षय गिरफ्तार

सीमा सन्देश संवाददाता

पिलानी। क्षेत्र के गांव लिखवा में शराब ठेके पर फायरिंग के आरोप में पुलिस ने 25-25 हजार रूपयों के ईनामी मुख्य आरोपियों को शनिवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी हरियाणा के फरमाणा खास पुलिस थाना महम निवासी अक्षय उर्फ माकड़ पुत्र देवेन्द्र तथा लिखवा निवासी सचिन उर्फ कालु हैं। पुलिस ने एक दिन पहले ही फायरिंग के आरोपी अक्षय एवं सचिन पर 25- 25 हजार रूपयों का ईनाम घोषित किया था। जिला पुलिस अधीक्षक बृजेश ज्योति उपाध्याय ने बताया कि फायरिंग के मुख्य आरोपी अक्षय पंडित ऊर्फ माकड़ एवं सचिन मेघवाल की दस्तयाबी के लिए विशेष टीमों का गठन किया था। गठित टीमों द्वारा करीब 750 किलोमीटर तक आरोपियों का पीछा करते हुए पांच सौ के करीब सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगालते हुए गिरफ्तारी को अंजाम दिया है। गिरफ्तार आरोपियों से हुई प्रारंभिक पूछताछ में जानकारी मिली है कि आरोपियों ने क्षेत्र में आतंक फैलाने व ठेकों से रंगदारी वसूलने के लिए फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अक्षय पण्डित उर्फ माकड पुलिस थाना महम जिला रोहतक में ठेके पर फायरिंग करने के प्रकरण में फरार चल रहा है। पुलिस टीमों को अक्षय उर्फ माकड़ के बुवानी खेड़ा हरियाणा में अपनी परिवार में मोसी के बेटे के खेत में छुपे होने की सूचना मिली थी। जिस पर पुलिस टीमों ने उसे गिरफ्तार किया है। दूसरा आरोपी सचिन मेघवाल पिलानी में पांथडिया रोड के पास पहाड़ी क्षेत्र में छुपा हुआ था। लिखवा के शराब ठेके पर 21 नवम्बर की शाम को बाईक सवार दो युवकों ने छह राउंड फायर किए थे तथा सेल्समैन को एक पर्ची देते हुए फिरौती की मांग की थी। इस सम्बंध में ठेके के सेल्समैन चैनसिंह ने पुलिस में नामजद मामला दर्ज करवाया था।पुलिस ने फायरिंग में शरीक दो आरोपी हिमांशु पुत्र प्रभुदयाल निवासी नरहड़ तथा पंकज उर्फ.टोनी पुत्र राजवीर निवासी इस्माइलपुर को दो दिन पहले ही गिरफ्तार किया था।

चिड़ासन को ग्राम पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग

चिड़ासन के ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन

सीमा सन्देश संवाददाता

झुंझुनूं। ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन के बाद कहीं खुशी तो कहीं नाराजगी दिख रही हैं। नाराज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंच अपना विरोध दर्ज करवा रहे हैं।

इसी कड़ी में चिड़ासन गांव के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर डॉ. अरुण गर्ग को ज्ञापन सौंपकर चिड़ासन को ही ग्राम पंचायत बनाने के प्रस्ताव को यथावत रखने की मांग की।

ग्रामीणों का कहना है कि सरकार द्वारा किया गया हालिया बदलाव तर्कहीन और ग्रामीणों के साथ सीधा अन्याय है। ग्रामीणों ने बताया कि राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार छह अप्रेल को चिड़ासन को नवसृजित ग्राम पंचायत बनाने का प्रस्ताव किया गया था। इसके बावजूद प्रशासन ने चिड़ासन के स्थान पर अमरपुरा को ग्राम पंचायत घोषित कर दिया और मुख्यालय भी अमरपुरा को बना दिया। ग्रामीणों ने कहा कि आबादी, भौगोलिक स्थिति और जनघनत्व के आधार पर चिड़ासन को ग्राम पंचायत बनाया जाना चाहिए था। इसके लिए आवश्यक सभी मापदंड चिड़ासन पूरा करता है। इसके बावजूद उनकी अनदेखी कर अमरपुरा को प्राथमिकता देना समझ से परे है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि प्रस्ताव में सुधार कर चिड़ासन को ग्राम पंचायत नहीं बनाया गया तो वे इस निर्णय का कड़ा विरोध करेंगे। ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सरकार ने निर्णय वापस नहीं लिया, तो वे आगामी पंचायत चुनाव का सामूहिक बहिष्कार करेंगे। ग्रामीणों ने मांग की कि या तो चिड़ासन को प्रस्तावित अनुसार ग्राम पंचायत घोषित किया जाए, अन्यथा पहले की तरह इसे चनाना ग्राम पंचायत में ही रखा जाए। ज्ञापन देने वाले सूबेदार रामसिंह, जगदीश मेघवाल, धनपतसिंह मेघवाल, पवन पायल, विनोद महला, प्रदीप पायल, बंटी पायल, करणसिंह महला, संदीप पायल,सरदार राम मेघवाल, सुनिल शर्मा, रणवीर पायल, दिलीप, होशियारसिंह पायल, गांधी पायल, महेंद्र महला, सुनिल पायल, मातूराम पायल, राकेश महला, रोहिताश सिंह आदि प्रमुख थे।

कल बिजली कर्मचारी करेंगे सभी उपखंडों पर प्रदर्शन

सीमा सन्देश संवाददाता

झुंझुनूं। भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध अजमेर विद्युत श्रमिक संघ के आह्वान पर एक दिसंबर को अजमेर डिस्कॉम झुंझुनूं वृत्त के सभी सहायक अभियंता कार्यालयों में प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। श्रमिक संघ के जिला महामंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने बताया कि झुंझुनूं वृत्त के अधीन बिजली कार्मिकों की मांगो के लिए प्रदर्शन कर सहायक अभियंता के माध्यम से प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिला महामंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि इस प्रदर्शन में तकनीकी कार्मिकों के 44 लाख का फीडर इंचार्ज का इंसेंटिव का भुगतान करने, झुंझुनूं वृत्त के अधीन अधिकतर जर्जर बिल्डिंग जीएसएम के निर्माण की मांग के लिए तथा बिलिंग कार्य के लिए कार्मिकों की संख्या के अनुरूप मशीन की मांग को लेकर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया जाएगा। मांगे नहीं मानी जाने पर 12 दिसंबर को जिला मुख्यालय पर विशाल प्रदर्शन किया जाएगा।

छावनी बाजार में आज मासिक अवकाश रहेगा

सीमा सन्देश संवाददाता

झुंझुनूं। श्री गल्ला व्यापार संघ झुंझुनूं के निर्णय अनुसार मासिक अवकाश के संदर्भ में महीने के आखिरी दिवस पर 30 नवंबर को बाजार बंद रहेगा। जानकारी देते हुए गल्ला व्यापार संघ के अध्यक्ष आनंद टीबड़ा एवं सचिव विपिन राणासरिया ने बताया कि पिछले काफी समय से छावनी बाजार के व्यापारी मासिक अवकाश के अंतर्गत महीने के अंतिम दिवस पर बाजार बंद करते आ रहे हैं। इस क्रम में 30 नवंबर को छावनी बाजार बंद रखने का निर्णय रखा गया है। महीने के अंतिम दिवस 30 नवंबर को जोशियों की कुटिया से लेकर छावनी बाजार एवं गोल मंडी बालाजी तक जो भी खुदरा एवं थोक की दुकान है पूर्णतया बंद रहेगी।

एनटीपीसी की पहल से ग्रामीण छात्रों के लिए खुला विज्ञान का नया प्रयोगात्मक आयाम

सीमा सन्देश संवाददाता

नवलगढ़। एनटीपीसी ने अपनी कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी (सी एस आर) के अंतर्गत शाहपुरा के परमानपुर स्थित महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) में फिजिकल साइंस, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए अत्याधुनिक विज्ञान किट उपलब्ध करवाकर छात्रों को आधुनिक वैज्ञानिक शिक्षा से जोड़ने की महत्वपूर्ण पहल की है।नवीन विज्ञान किटों से सुसज्जित इस प्रयोगशाला का शुभारंभ सरपंच रामस्वरूप चौधरी, एस एम सी अध्यक्ष राजेंद्र, सोशल डेवलपमेंट फाउंडेशन के निदेशक डॉ. शंकरलाल सैनी , प्रधानाचार्य प्रकाश चौधरी एवं विद्यालय स्टाफ सहित अन्य विशिष्ट अतिथियों ने फीता काटकर किया। प्रधानाचार्य ने बताया कि एनटीपीसी ने विज्ञान शिक्षा को सशक्त बनाने के उद्देश्य से प्रयोगशाला उपकरण, माप-यंत्र, मॉडल, माइक्रोस्कोप, स्लाइड्स तथा विभिन्न वैज्ञानिक सामग्री प्रदान की है।

उन्होंने कहा कि इन उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थी अब सिद्धांतों को केवल पढ़ेंगे नहीं, बल्कि स्वयं प्रयोग करके गहराई से समझ सकेंगे। यह पहल विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विश्लेषण क्षमता और समस्या समाधान कौशल को मजबूत करेगी।विद्यालय शिक्षकों ने बताया कि प्रयोगात्मक सामग्री उपलब्ध होने से छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि तेजी से बढ़ी है और उनकी अवधारणात्मक समझ पहले की तुलना में कहीं अधिक सुदृढ़ हो रही है।

कार्यक्रम में इंजीनियर असरार अहमद, इंजीनियर नवीन निसार बारूदगर, पुष्कर लाल सैनी, भुरामल , कैलाश , विद्यालय स्टाफ तथा बड़ी संख्या में बच्चे मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान फाउंडेशन के सदस्यों ने विज्ञान शिक्षकों के साथ मिलकर बच्चों को विज्ञान किट का उपयोग करवाते हुए विभिन्न प्रयोग भी समझाए। बच्चों के अभिभावकों तथा स्थानीय समुदाय ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि अब सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी निजी स्कूलों की तरह प्रैक्टिकल लैब सुविधाओं का लाभ उठा सकेंगे।प्रधानाचार्य ने बताया कि सोशल डेवलपमेंट एंड हेरिटेज एंड वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन फाउंडेशन इस परियोजना की निरंतर निगरानी तथा प्रभावी मूल्यांकन करेगा, ताकि इन विज्ञान किट्स का सुरक्षित, नियमित और दीर्घकालिक उपयोग सुनिश्चित हो सके। कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों का विद्यालय परिवार ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत व सम्मान किया।

टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : 11वां तल, टॉवर ए, पेनिन्सुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोवर परेल, मुम्बई-400013, सीआईएन नं. U65990MH1991PLC060670

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए)
(परिशिष्ट IV सहपठित प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8(1) के अनुसार)

चूंकि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** का प्राधिकृत अधिकारी होने के नाते प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों का पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अधीन तथा धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों की पालना में नीचे उल्लेख के अनुसार मांग पत्र जारी कर मांग पत्र में उल्लेखित राशि का भुगतान उस नोटिस की तिथि से 60 दिनों के भीतर करने के लिए ऋणधारकों को बुलाया था।
ऋणधारक राशि का भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं। ऋणधारक को विशेष रूप से तथा जन सामान्य को यह सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सहपठित उक्त नियमों के नियम 8 में उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लेखित सम्पत्ति का कब्जा ले लिया है।
ऋणधारक को विशेष रूप से एवं जनसामान्य को सावचेत किया जाता है कि इस सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें और इस सम्पत्ति के साथ कोई भी सौदा नीचे बताई गई राशि पर नीचे उल्लेखित तिथि से ब्याज तथा जुर्माना ब्याज, प्रभारों, लागतों आदि के लिए **टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्रभार का विषय होगा।
ऋणधारक को सावधान किया जाता है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों के अनुसार सुरक्षित आस्तियों को मुक्त करवाने के लिए उपलब्ध समय में वे आमंत्रित हैं।

ऋण खाता सं.	उपकृत(ों)/विधिक वारिस (ों)/ विधिक प्रतिनिधि(यों) का नाम	मांग पत्र की तिथि व राशि	कब्जा की तिथि
TCHHL00860 0 0100309648 & TCHIN00860 0 0100315554	श्री रामकिशोर धोबी (ऋणधारक), और श्रीमती सुनीता देवी (सह-ऋणधारक)	ऋण खाता संख्या TCHHL0086000100309648 के अंतर्गत रुपये 15,40,159/- और ऋण खाता संख्या TCHIN0086000100315554 के अंतर्गत रुपये 85,399/- यानी कुल रुपये 16,25,558/- (रुपये सोलह लाख पच्चीस हजार पांच सौ अट्ठावन मात्र) 03.09.2025 के अनुसार	26.11.2025 (प्रतीकात्मक)
सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: प्लॉट संख्या 24, परमानंद नगर योजना, निवारू रोड, जयपुर में निर्मित एम.डी. इन्कलेव-2 पर द्वितीय तल, आवासीय फ्लैट संख्या एस-01 के समस्त खण्ड व हिस्से, **अधिमापन क्षेत्र 800 वर्ग फीट (बिना छत के अधिकार) बिक्री संलेख में उल्लिखित सभी सामान्य सुविधाओं सहित।**			
TCHHL03060 00100356286 & TCHIN03060 00100360242	श्री हीरा लाल (ऋणधारक), और श्रीमती मोनिका कुमावत (सह-ऋणधारक)	ऋण खाता TCHHL0306000100356286 के अंतर्गत रुपये 31,17,101/- और ऋण खाता संख्या TCHIN0306000100360242 के अंतर्गत 1,80,467/- , अर्थात कुल रुपये 32,97,568/- (रुपये बत्तीस लाख सत्तानवे हजार पांच सौ अड़सठ मात्र) 04.09.2025 के अनुसार	26.11.2025 (प्रतीकात्मक)
सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: माचवा, कालवाड़ रोड, जयपुर, राजस्थान के आवासीय भूखंड संख्या 5 ए, स्कीम केशर वाटिका के समस्त खण्ड व हिस्से, अधिमापन 92.4 वर्ग यार्ड और बिक्री संलेख में उल्लिखित सभी सामूहिक सुविधाओं सहित। **सीमाएँ इस प्रकार हैं:** पूर्व सड़क 30 फीट; पश्चिम दुकानें; उत्तर भूखंड संख्या 4; दक्षिण -भूखंड संख्या 5			
TCHHL03060 00100069761 & TCHIN03060 00100069870	श्री जितेंद्र कृष्णानी (ऋणधारक), और श्री संजय शर्मा (सह-ऋणधारक)	ऋण खाता संख्या TCHHL0306000100069761 के अंतर्गत रुपये 44,69,872/- और ऋण खाता संख्या TCHIN0306000100069870 के अंतर्गत रुपये 1,43,017/-, अर्थात 09.09.2025 के अनुसार कुल रुपये 46,12,889/-	26.11.2025
सुरक्षित आस्तियों/अचल संपत्तियों का विवरण: प्लॉट संख्या 35 (प्लॉट संख्या 35 का पश्चिमी भाग), जय नगर स्कीम, ग्राम सुखिया, **तहसील सिंगानेर, जयपुर के सभी खण्ड व हिस्से, अधिमापन 95.83 वर्ग यार्ड्स और बिक्री संलेख में उल्लिखित सभी सामूहिक सुविधाएँ सहित। सीमाएँ:** पूर्व: प्लॉट संख्या 35 का शेष भाग, पश्चिम: प्लॉट संख्या 34; उत्तर: सड़क की चौड़ाई 30 फीट, दक्षिण: प्लॉट संख्या 14.			

दिनांक:- 30/11/2025 हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी
स्थान :- जयपुर, राजस्थान कृते टाटा कैपिटल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

ज्योतिबा फुले का 136वां निर्वाण दिवस मनाया

नवलगढ़। डॉ भीमराव अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट नवलगढ़ के तत्वावधान में स्टेशन रोड नवलगढ़ स्थित नेताजी भोलाराम सैनी की दुकान पर ज्योतिबा फुले का 136 वां महापरिनिर्वाण दिवस मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत प्रधानाध्यापक कन्हैयालाल सैनी, नगरपालिका के सेवानिवृत्त कार्मिक राजेंद्र कुमार खन्ना व अतिथियों ने ज्योतिबा फुले के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि भारत रत्न डॉ भीमराव अंबेडकर के राजनीतिक व सामाजिक गुरु ज्योतिबा फुले थे। ज्योतिबा फुले ने तत्कालीन समाज में व्याप्त सभी प्रकार की कुरीतियों पर तीखा प्रहार किया।समाज में चल रही रूढ़िवादिता, असमानता, अस्पृश्यता के लिए अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर संघर्ष किया और अंत में उनकी जीत हुई। सावित्रीबाई फुले व फातिमा शेख के साथ मिलकर 1848 में बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोला। कार्यक्रम में प्रभुदयाल सैनी, प्रभु दयाल जागृत, केशर देव धानिया, राजेश कुमार सैनी, गौरीशंकर झाझरिया, सत्यनारायण सोलंकी आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन ट्रस्ट अध्यक्ष चौथमल सोंकरिया ने किया।

गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड — ई-नीलामी- बिक्री सूचना

GRIHUM HOUSING FINANCE — Apna Ghar. Apni Pehchan.

पंजीकृत कार्यालय: छठी मंजिल, बी बिल्डिंग, गंगा ट्रूनो, लोहेगांव, पुणे, महाराष्ट्र 411014
शाखा की ईकाई: प्रथम तल, जगदम्बा टावर, एफ-11, आम्रपाली सर्किल, वैशाली नगर, जयपुर 302102

सरफेसी अधिनियम के तहत सुरक्षित अचल आस्ति की बिक्री के लिए ई-नीलामी विक्रय सूचना

प्रतिभूतिकरण और वित्तीय आस्तियों के पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002(अधिनियम) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 व 9 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना एतद्द्वारा जनसामान्य को और विशेष रूप से ऋणधारकों/सह-ऋणधारकों/बंधककर्ता(ओं)/जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्तियों को **गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** और (इसके बाद अधिनियम के अनुसार 'सुरक्षित लेनदार' के रूप में संदर्भित किया है) के पास बंधक रखा है, जिसका कब्जा सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी ने अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन नोटिस की पालना में अधिनियम की धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूति हित(प्रवर्तन) नियम के नियम 8 व 9 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राप्त कर लिया है।
सुरक्षित आस्तियों को ई-नीलामी के माध्यम से 31.12.2025 को 'जो है जहां है', 'जो है क्या है' और 'वहां जो भी है'के आधार पर बेची जाएंगी। एतद्द्वारा आमजन को सूचित किया जाता है कि हम वेबसाइट: https://www.bankeauctions.com. पर उपलब्ध ई-नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक नीलामी करने जा रहे हैं। बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया जीएचएफएल/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.grihumhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

प्रस्ताव संख्या ग्राहक का नाम (ए)	मांग सूचना दिनांक और बकाया राशि (बी)	कब्जे का प्रकार(सी)	संपत्ति का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	ईएमडी जमा करने की तिथि(जी)	बोली वृद्धि (एच)	सम्पत्ति निरीक्षण तिथि व समय (आई)	नीलामी की तिथि और समय (जे)	ज्ञात भार/ कोर्ट केस, यदि कोई हो, (के)
ऋण खाता सं. LAP05812000 00005012592 और HL005812000 00005008909 गेंदी लाल मीणा (ऋणधारक) किसनी देवी (सह-ऋणधारक)	नोटिस दिनांक: 09.12.2024 कुल बकाया: रु. 1393023.00/- (रुपये तेरह लाख तिरानवे हजार तेईस मात्र) जिसमें 744305.00/- LAP05812000000005012592 में और 648718.00/- HL00581200000005008909/- बकाया देनदारी शामिल है। 09.12.2024 के अनुसार देय व इस पर भुगतान तक 14.05 प्रतिशत एवं 10.70 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित	भौतिक	गांव-समरेद कुर्द, ग्राम पंचायत-समरेद कलां, तहजमवा रामगढ़ जयपुर के पट्टा नंबर 95 के समस्त खंड एवं हिस्से। (इसके बाद इसे 'उक्त सम्पत्ति' कहा जाएगा) **सीमाएं इस तरह हैं:** पट्टा नंबर 95 ग्राम-समरेद कुर्द कुल रकबा (288.88 स्क्वै. याड्र्स), **पूर्व** : 100 ग्राम शामलात खाली जमीन, पश्चिम: 20 फीट चौड़ा आम रास्ता, **उत्तर:** श्रवण लाल की खाली रिहायशी जमीन, **दक्षिण:** पप्पू लाल की खाली रिहायशी जमीन	रु. 1574125/- (रुपये पन्द्रह लाख चौहत्तर हजार एक सौ पच्चीस मात्र)	रु. 157412.5/- (रुपये एक लाख सतावन हजार चार सौ बारह व पैसे पांच मात्र)	30.12.2025 सायं 5 बजे से पहले	10,000/	24.12.2025 (प्रातः 11- सायं 4 बजे)	31.12.2025 (प्रातः 11- सायं 2)	निल
ऋण खाता सं. HL005811000 00005012339 मुबारिक अली (ऋणधारक) खातिजा बेगम (सह-ऋणधारक)	नोटिस दिनांक: 07/11/2024 कुल बकाया: रु. 1666517/- (रुपये सोलह लाख छियासठ हजार पांच सौ सत्रह मात्र) 07/11/2024 के अनुसार देय व इसपर भुगतान तक 13.00 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित	भौतिक	स्कीम दुर्गा कॉलोनी विस्तार, हसनपुरा, जयपुर, राजस्थान के प्लॉट नं. 58 स्थित तीसरी मंज़िल, स्थित यूनिट/फ्लैट-टी-02 के समस्त खंड एवं हिस्से। बिल्ट अप एरिया 800 स्क्वै. फीट और **प्लॉट नंबर 58 की सीमाएं:** पूर्व : सड़क 30 फीट, **पश्चिम-** अन्य जमीन, उत्तर-प्लॉट नंबर 60, दक्षिण-प्लॉट नंबर 90	रु. 1575000/- (रुपये पन्द्रह लाख पचहत्तर हजार मात्र)	रु. 157500/- (रुपये एक लाख सतावन हजार पांच सौ मात्र)	30.12.2025 सायं 5 बजे से पहले	10,000/	24.12.2025 (प्रातः 11- सायं 4 बजे)	31.12.2025 (प्रातः 11- सायं 2)	निल

इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार शाखा और नीलामी संपत्तियों का दौरा करें, और अपनी स्वयं की पूछताछ करें और अतिरिक्त शुल्क, भारों और किसी तीसरे पक्ष के हितों का पता लगाएं और बोलियां जमा करने से पहले सभी पहलुओं में खुद को संतुष्ट करें। सभी वैधानिक बकाया जैसे संपत्ति करों, बिजली/पानी का बकाया और संपत्ति से जुड़ा कोई अन्य बकाया, यदि कोई हो, का पता लगाया जाना चाहिए और सफल बोलीदाता द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए। इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करना होगा और जो नीलामी सेवा प्रदाता) सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पता- प्लॉट नंबर-68 तृतीय तल गुड़गांव हरियाणा-122003. हेल्पलाइन नंबर- 7291981124,25,26 सपोर्ट ईमेल आईडी Support@bankeauctions.com संपर्क -व्यक्ति विनोद चौहान, ईमेल आईडी- delhi@c1india.com संपर्क नंबर- 9813887931 से अग्रिम रूप से ही लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा, जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। कृपया ध्यान दें कि संभावित बोलीदाता केवल उन्हीं से ई-नीलामी पर ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को 20, आर.एन. मुखर्जी रोड-कोलकात्ता-700001 'गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के नीलामी आय खाता बैंक-आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, पंचशील टेक पार्क, नजदीक गणपति चौक, 43/44 विमान नगर, 411014, खाता संख्या-091551000028 और आईएफएससी कोड- ICIC0000915 के खाते में एनईएफटी/आरटीजीएस/डीडी के माध्यम से बयाना राशि जमा (ईएमडी) की राशि जमा करना आवश्यक है, **30.12.2025** को या उससे पहले किसी भी राष्ट्रीयकृत या अनुसूचित बैंक पर आहरित किया और https://www.bankeauctions.com पर अपना नाम पंजीकृत करें और उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड निःशुल्क प्राप्त करें और सेवा प्रदाता से ई-नीलामी पर प्रशिक्षण प्राप्त करें। वेबसाइट पर अपने पंजीकरण के बाद, इच्छुक क्रेता/बोलीदाता को अपलोड किए गए निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त करने के लिए यहां पता- **पता: द्वितीय तल, ईस्टर्न पार्ट, लैंडमार्क टावर, भूखंड सं. 16ए, महावीर मार्ग, सी-स्कीम, नजदीक जय क्लब, जयपुर-302001, मोबाइल नं. +91 9567626050 ई-मेल आईडी rahul.r1@grihumhousing.com** को ई-मेल व स्व-अभिप्रमाणित हार्ड कॉपी भेजने की आवश्यकता है। ई-नीलामी में भाग लेने हेतु नियम व शर्तों के अधिक विवरण के लिए कृपया https://www.bankeauctions.com या www.grihumhousing.com पर जाएं।

यह सूचना ऋणधारक/सह-ऋणधारक/बंधककर्ता(ओं) जमानतदार(ों) को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम - 2002 के के नियम 8(6) के अधीन 30 दिनों के नोटिस के रूप में भी ली जाये।

स्थान: जयपुर (राजस्थान) तिथि : 30.11.2025 प्राधिकृत अधिकारी गृहम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कवि सम्मेलन — 70वें सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2026 में सिंधी भाषा के अनुवादक कवि के रूप में चमके

चिड़ावा के डॉ. के. शंभू पंवार राष्ट्रीय मंच पर सम्मानित,

सीमा सन्देश संवाददाता

चिड़ावा। झुंझुनूं और पूरे शेखावाटी क्षेत्र के लिए गर्व का विषय है कि चिड़ावा के साहित्यकार डॉ. के. शंभू पंवार ने भारत सरकार के प्रसार भारती (आकाशवाणी) द्वारा आयोजित 70वें सर्वभाषा कवि सम्मेलन 2026 में सिंधी भाषा के अनुवादक कवि के रूप में प्रतिभाग कर जिले का नाम रोशन किया। माना जा रहा है कि डॉ. पंवार झुंझुनूं और शेखावाटी से ऐसे पहले साहित्यकार हैं जिन्हें इस प्रतिष्ठित राष्ट्रीय आयोजन के 70वें संस्करण में अवसर मिला। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं के श्रेष्ठ कवियों को एक साझा मंच प्रदान कर राष्ट्रीय एकता, भाषाई सद्भाव और भारतीय भाषाओं की सांस्कृतिक विरासत को सुदृढ़ करना है। उल्लेखनीय है कि इस मंच पर पूर्व में हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला', सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद और रामधारी सिंह 'दिनकर' जैसे देश के दिग्गज कवि अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं। आकाशवाणी दिल्ली के रंग भवन ऑडिटोरियम में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में डॉ. पंवार ने नर्मदापुरम के वरिष्ठ सिंधी कवि अशोक जमनानी की प्रसिद्ध रचना 'वारिस' का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया, जिसे उपस्थित साहित्यकारों और श्रोताओं ने भरपूर सराहना दी।

कार्यक्रम में साहित्य अकादमी दिल्ली के अध्यक्ष माधव कौशिक तथा आकाशवाणी दिल्ली की कार्यक्रम अधिकारी मनीषा जैन ने डॉ. पंवार को शॉल, गोल्डन माइक और फिलिप्स रेडियो भेंट कर सम्मानित किया। कवि सम्मेलन का विशेष प्रसारण गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर डीडी दूरदर्शन और आकाशवाणी के सभी केंद्रों से किया जाएगा।